न्यायालय: – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र. (आप.प्रक.कमांक :- 758 / 2016) (संस्थित दिनांक :- 05 / 12 / 2016)

> म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ जिला-भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

## // विरूद्ध //

भरत उर्फ कालू शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा, उम्र 21 वर्ष। 01. निवासी :- ग्राम उझावल, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभुयक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 08/07/2017 को घोषित )

अभियुक्त भरत उर्फ कालू पर भा.द.सं. की धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 20/08/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे ग्राम उझावल, थाना-मौ में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी रवि राठौर को मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी रवि की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की एवं फरियादी रवि को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20/08/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे ग्राम उझावल मौ में, आरोपी भरत उर्फ कालू शर्मा द्वारा फरियादी रवि राठौर से गाली-गलौच करने, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रवि राठौर द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 173 / 16 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध धारा 324 भा.द.संं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी भरत उर्फ कालू शर्मा को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक बनाया गया। फरियादी रवि राठौर एवं साक्षी अशोक गोस्वामी के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- अभियुक्त भरत उर्फ कालू शर्मा के विरूद्ध धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना

अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी भरत उर्फ कालू शर्मा ने दिनांक :— 20/08/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे ग्राम उझावल मौ में, फरियादी रवि की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की?
  - 02. अन्तिम निष्कर्ष?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी रवि राठौर अ.सा.०२ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी भरत उर्फ कालू को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22 / 05 / 2017 से करीबन एक साल पूर्व की होकर दोपहर के समय की ग्राम उझावल की है। उस समय उसका आरोपी भरत से मुहवाद हो गया था, जिसमें आरोपी ने उसे मॉ-बहन की गंदी गालियाँ दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में की गई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी. 03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रवि अ.सा.02 ने आरोपी भरत उर्फ कालू द्वारा दिनांक :- 20/08/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे ग्राम उझावल मौ में, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी रवि अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रिव राठौर अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी भरत उर्फ कालू ने दिनांक :— 20/08/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे ग्राम उझावल मौ में, फरियादी रिव की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहित कारित।

- अभियोजन आरोपी भरत उर्फ कालू के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता
- 10. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)